

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक टोंक


—: कार्यालय आदेश :—

श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्राकं शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2-3/स्थानान्तरण/2019/32 दिनाकं 28.9.2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो (सहायक कर्मचारी) का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

| क्र० स० | नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | वर्तमान पदस्थापन स्थान | जिला | स्थानान्तरित स्थान | जिला |
|------------|----------------------------|--------------------------------|------|-----------------------|------|
| 1 | श्री हरीश रेगर | राउमावि कोठीनातकमान टोंक | टोंक | राउमावि बरोनी | टोंक |

01- राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिको को पदस्थापित नियमो के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विधालयो हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावें ।


02- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनो पैरो से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृति में एक वर्ष शैष रहने वाले श्रेणी के कार्मिको को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही करवाया जावें ।


(डॉ० मोहम्मद नसीम)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक, टोंक

दिनाकं:- 29-9-19

कमाकं-जिशिअ/मु०-मा०/टोंक/सं-1/स्था/2019-20/3883
प्रतिलिपि-

1. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर
3. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी टोंक ।
4. मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी टोंक
5. प्रधानाचार्य, राउमावि कोठीनातकमान-टोंक/बरोनी
6. संबंधित कार्मिक


जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक टोंक